डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीया

बनाम

1. भैरोलाल पुत्र हरिराम
2. बत्तीलाल पुत्र भैरोलाल
3. विष्णु पुत्र भैरोलाल
4. बैक्टेश पुत्र भैरोलाल
5. गीता पुत्री भैरोलाल
समस्त जातियान मीना निवासी भौटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञ

मु0न0 68 / 19

तारीख रजू:– 03.07.2019

उनवान

1. भैरोलाल पुत्र हरिराम मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह मीना
2. रामसिंह पुत्र चैन्याराम मीना
3. धनराज पुत्र रामसिंह मीना
4. सुलह सिंह पुत्र रामसिंह
समस्त जातियान मीना निवासी भौटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

मु0न0 67 / 19 एवं 68 / 19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट, सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट, श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह जाति मीना निवासी भौटवाडा को ग्राम भौटवाडा की आराजी ख0न0 799 रकवा 0.1450 है0 का तथा भैरोलाल पुत्र हरीराम जाति मीना निवासी भौटवाडा को ख0न0 799 / 1 रकवा 0.0150 एवं 800 रकवा 0.1300 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उभयपक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि एक दूसरे की आराजीयात के हिस्से मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति दोनो मुकदमो मे शामिल की जावे।

निज.......–.......मुबलिंग..............–..........बावत..........–..........खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.......–.......फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......–अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.02.2020 को जारी की गई।

दस्तखत उपजिला कलक्टर
ओहदा टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 67/19

तारीख रजू:– 03.07.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीया

बनाम

1. भैरोलाल पुत्र हरिराम
2. बत्तीलाल पुत्र भैरोलाल
3. विष्णु पुत्र भैरोलाल
4. बैक्टेश पुत्र भैरोलाल
5. गीता पुत्री भैरोलाल
   समस्त जातियान मीना निवासी भौटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– 1.श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादीगण)

2. श्री सुनील कुमार जिन्दलएडवोकेट (प्रतिवादीगण)

मु0न0 68/19

तारीख रजू:– 03.07.2019

उनवान

1. भैरोलाल पुत्र हरिराम मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह मीना
2. रामसिंह पुत्र चैन्याराम मीना
3. धनराज पुत्र रामसिंह मीना
4. सुलह सिंह पुत्र रामसिंह
   समस्त जातियान मीना निवासी भौटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– 1.श्री सुनील कुमार जिन्दलएडवोकेट (वादीगण)

2. श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

निर्णय **दिनांक:– 28.02.2020**

दोनो प्रकरण समान प्रवृति के होने के कारण निर्णय एक साथ किया जा रहा है:–

मु0न0 67/19

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भौटवाडा स्थित आराजी ख0न0 799/0.16, 800/0.13 है0 मे वादी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी को वादी ने पूर्व खातेदार चौथीलाल पुत्र हरिराम मीना निवासी भौटवाडा जो कि प्रतिवादी न0 1 भौरोलाल का खास भाई है से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2014 को खरीद

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

क्या है। उसी समय मौके पर जहाँ चौथीलाल का कब्जा था उसी अनुसार वादी को मौके पर कब्जा करा दिया था। इस प्रकार वादी विक्रय के समय से ही आज तक मौके पर काविज है तथा वादी के हिस्से का अलग खेत बना हुआ है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबध नही है। वॉका दिनांक 30.06.2019 को वादी अपनी आराजी कब्जे व हिस्से की भूमि पर पक्की बाउन्ड्री कर रहा था तब प्रतिवादी न0 1 ता 5 आये और वादी को ऐलानिया धमकी दी की तुझे बाउन्ड्री नही करने देगे, नाहि भूमि को काश्त करने देगे। वादी ने उनको काफी समझाया लेकिन वे नही माने ओर झगडा किया इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी न0 1 बाबत डिवीजन आफ होल्डिंग डिकी किया जाकर ग्रम भौटवाडा स्थित आराजी ख0न0 799/0.16, 800/0.13 है0 मे वादी का हिस्सा 1/ मुताबिक खातेदारी कब्जा तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर अलग खाता कायम किया जावे। तथा प्रवितादी न0 1 ता 5 को स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर पाबन्द फरमाया जावे कि वादी की उक्त आराजी मे खातेदारी व कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 5 व 6 बाबजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1,2,3 की ओर से जरिये वकील जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया कि वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम भोटवाडा मे होना स्वीकार है जिसमे प्रतिवादी न0 1 की 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है मौके पर काबिज एवं दखिल है। वादपत्र मे और तथ्य तहरीर किये गये है वह गलत होने के कारण अस्वीकार है क्योकि कैलाशी अपने परिवार व पुत्रो के माध्यम से अपने 1/ हिस्से से अधिक प्रतिवादी न0 1 के हिस्से की कब्जे की आराजी को हडपना चाहती है। और जबरन पक्का निर्माण करना चाहती है। जिनका प्रतिवादी ने विरोध कियाउक्त आराजीयात के बावत बटवारे का दावा पेश किया जिससे बचने के लिये वादीया ने गलत तथ्य पेश कर यह दावा पेश किया है। आराजी ख0न0 799/0.16, 800/0.13 है0 मे प्रतिवादी न0 1 भैरोलाल 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। काबिज एवं दखिल है। जिसका मुताबिक मौके पर ख0न0 800 रकवा 0.13 है0 सम्पूर्ण भाग तथा ख0न0 799 रकवा 0.16 है0 बतरफ ख0न0 800 के सडक के सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ अलग से तकास्मा कराये जाने का प्रतिवादी न0 1 अधिकारी है अतः जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीया का दावा खारिज फरमाते हुये प्रतिवादी न0 1 के काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये आराजी ख0न0 799/.016है0, 800 रकवा 0.13 है0 कुल रकवा 0.29 है0 का प्रतिवादी न0 1 भैरोलाल के 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड अलग खाता कायम किया जावे।

मु0न0 68/19

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भौटवाडा स्थित आराजीयात 799/0.16, 800/0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.29 है0 मे वादी का 1/2 हिस्सा के तथा प्रतिवादी न0 1 हिस्सा 1/2 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी न0 1 मे मध्य आराजीयात का विधिवत बटवारा नही होने से प्रतिवादी न0 1 के पुत्र व पति जबरन वादी की बुजुर्गी का नाजायज फायदा उठाकर वादी के 1/2 हिस्से को हडपना चाहते है क्योकि उक्त आराजीयात ग्राम भौटवाडा के आम रास्ते के सहारे है। इसलिये प्रतिवादीगण, वादी को परेशान करते रहते है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी न0 1 द्वारा मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है जिसमे वादी का ख0न0 800 रकवा 0.13 है0 के सम्पूर्ण भाग पर तथा खसरा न0 799 रकवा 0.16 है0 मे से 0.02 है0 सडक के सहारे व तरफ ख0न0 800 के सहारे काबिज है लेकिन रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही होने से वादी से प्रतिवादीगण आये दिन झगडा करते रहते है। वॉका दिनांक 25.06.2019 का है कि वादी अपनी आराजीयात मे फसल बुवाई के लिये गया तो देखा कि प्रतिवादीगण मौके पर मजदूरो से पुख्ता निर्माण करने के लिये नीव खुदवा रहा था तो वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण नाराज होकर गाली गलौच करने लगे और वादी को प्रतिवादी न0 2 ता 4 ने जान से मारने की धमकी दी और वादी के हिस्से मे जबरन पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी वादी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी न0 1 से तहसील मे चलकर बटवारा करने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया इस कारण से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत तकास्मा इस प्रकार प्राथमिक डिक्री किया जावे कि ग्राम भौटवाडा स्थित आराजी ख0न0 799/0.16, 800/0.13 है0 मे वादी के 1/2 हिस्सा जो सडक के सहारे वादी का 0.14 है0 पर कब्जा है। कब्जानुसार बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विधिवत तकास्मा कराये बिना किसी प्रकार मौके पर निर्माण नही करे एवं वादी को बेदखल नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नही इसलिये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 4 की और से जरिये वकील जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया कि प्रतिवादी कैलाशी देवी विवादित आराजीयात मे 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। वादी का दावा खारिज करते हुये आराजी ख0न0 799, 800 कुल रकवा 0.29 है0 मे 1/2 हिस्से की कब्जाअनुसार बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर प्रति दावा डिक्री किया जावे।

वकील उभयपक्ष ने एक मत से कथन किया कि दोनो प्रकरण समान पक्षकार एवं समान आराजीयात और तकास्मा से संबधित है इसलिये पूर्व के दर्ज मुकदमे मे हमफीता कर मुताबिक हिस्सा पक्षकारान तकास्मा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री फरमा दिये जावे।

वकील उभयपक्षकारान की सहमति दर्ज कराने पर खातेदारान की आराजीयात का अलग–अलग खाता कायम कराने हेतु दावा प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्षकारान ने अवलोकन कर बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया। वकील उभयपक्षकारान की सहमति पर बटवारा स्कीम के अनुसार दावे फाईनल डिक्री किये जाते है।

अतः कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह जाति मीना निवासी भौटवाडा को ग्राम भौटवाडा की आराजी ख0न0 799 रकवा 0.1450 है0 का तथा भैरोलाल पुत्र हरीराम जाति मीना निवासी भौटवाडा को ख0न0 799/1 रकवा 0.0150 एवं 800 रकवा 0.1300 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उभयपक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे की आराजीयात के हिस्से मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति दोनो मुकदमो मे शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम (करौली)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:40:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: